तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/5/25	पुकार करी केस हाजिर। बजाय [illegible] की ओर से आदेश [illegible] पेश किया। नकल दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दि० 12/5/25 को पेश हो।	
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अधिवक्ता [illegible] हाजिर। बहस [illegible] हेतु वकील उभयपक्ष [illegible] ने अवसर दिया [illegible] अवसर प्रदान किया जाता है [illegible] पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 3/6/25 को पेश हो।	
3/6/25	पुकार करी केस हाजिर। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि० 13/6/25 को पेश हो।	
13/6/25	पुकार करी केस हाजिर। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/6/25 को पेश हो।	
20/6/25	पुकार करी केस उप०। बहस प्रार्थनापत्र [illegible] सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.6.25 को पेश हो।	
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] हाजिर। [illegible] का प्रार्थनापत्र [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible] बाद [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

101 / 2021
एमएस : 2021 / 263

1. सोमदत पुत्र श्री साहबराम जाति बाल्मिकी साकिन 33 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. अल्का पुत्री श्री साहबराम पत्नी श्री सन्दीप जाति बाल्मिकी साकिन वार्ड नं. 32 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज.।
3. रूपाली पुत्री साहबराम पत्नी श्री सुनील कुमार जाति बाल्मिकी साकिन वार्ड नं. 12, हुनात्पुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. सन्तोष पुत्री श्री साहब राम पत्नी श्री विक्रम कुमार जाति बाल्मिकी साकिन वार्ड नं. 8 श्री करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.। —प्रार्थीगण

बनाम

1. साहबराम पुत्र श्री राजा राम उर्फ गणेशा राम जाति बाल्मिकी साकिन 33 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।

—:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 19.07.2021

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री अमित कुमार गोदारा प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री रणवीर सिंह अप्रार्थी सं. 1 अधिवक्ता।

—: निर्णय :— दिनांक :—27.06.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि मुताबिक जमाबन्दी सं. 2073—2076 वाके चक 33 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 129 / 107 में पं.नं. 126 / 303 मु.नं. 32 के कि.नं. 1 ता 13 की कुल खाता योग 2.491 है. नहरी—बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज है जो अप्रार्थी सं. 1 की स्व अर्जित नहीं होकर प्रार्थीगण के पूर्वजों से प्राप्त होने से जद्दी जायदाद (पैतृक सम्पति) की परिभाषा में आती है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 की वैध संतान होने से उन्हे जन्म से ही विवादित रकबा में पैतृक सम्पति होने से हक—हकूक व अधिकार निहित होकर तदनुसार वे अपने भाग के रकबा पर भी काबिज काश्त अप्रार्थी सं. 1 के साथ चले आ रहे है। चूकिं विवादित रकबा पैतृक सम्पति होने से उसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 का प्रत्येक एक का 1 / 5, 1 / 5 भाग कानूनन निहित व बनता है ओर तदनुसार प्रार्थीगण विवादित रकबा में अपने—अपने भाग अनुसार विवादित रकबा के कुल 4 / 5 भाग अर्थात 1.993 है. नहरी—बारानी रकबा पर अपने खातेदारी हक—हकूक व अधिकारों को घोषित करवा पाने के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर उन्हे पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) से वंचित करने की कुचेष्टा में है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 से विवादित पैतृक रकबा पर उनके खातेदारी हक—हकूक व अधिकारों को घोषित कर राजस्व अभिलेखों में भूमि उनके नाम से अमलदरामद करवाने की अपेक्षा करते हुए सही में सहयोग देते हुये विवादित रकबा को खुर्द—बुर्द करने से बाज रहने को कहा गया तो वह प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक ... को चक 33 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर में उनकी किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार होकर धमकी दी कि विवादित रकबा अप्रार्थी सं. 1 के अकेले के नाम से दर्ज होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

जा नाजायज फायदा उठा प्रार्थी आदि को विवादित रकबा में उनके पैतृक हिस्सा से वंचित करते हुये किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा, इसलिये प्रार्थी को अपने विधिक अधिकारों की संसुरक्षा व वांछित अनुतोष व व्यादेश प्राप्ति के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लाना पड़ा। वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है अगर दौराने वाद अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गया तो उससें प्रार्थीगण के बाद का मकसद ही फोत हो जावेगा और प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा, गैरइंसाफी होगी, अन्याय होगा, अपूर्णिय क्षति होगी, मुकदमाबाजी बढ़ेगी, अपव्यय होगा जिससें होने वाले नुकसान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। इसिलयें प्रार्थीगण अस्थाई व्यादेश पाने का विधिक अधिकारी है। अन्य आधार वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट बाबत अस्थाई व्यादेश मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ता:फैसला मूल वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व इस आश्य का अस्थाई व्यादेश पारित फरमाया जावे कि वह विवादित रकबा वाके चक 33 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 129/107 में पं.नं. 126/303 मु.नं. 32 के कि.नं. 1 ता 13 की कुल खाता योग 2.491 है. नहरी–बारानी खातेदारी कृषि भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से तथा प्रार्थीगण को जबरन–बलपूर्वक–विधिविरूध तरीके से बेदखल करने से बाज ममनू रहे तथा मौका एसंव रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से रणवीरसिंह अधिवक्ता ने हाजिर होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी द्वारा स्वयं के खून पसीने की कमाई से जरिये रजि. बैयनामा दिनांक 04.11.2006 श्रीमती सुवा पत्नी श्री गणेशाराम से खरीद की है जो पूर्णतः स्व अर्जित सम्पति है वादग्रस्त कृषि भूमि मुझा अप्रार्थी की पूर्णत एवं अर्जित (निरपेक्ष/ आत्यंकित) कृषि भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण का कोई हक हकूक नहीं है, और ना ही किसी प्रकार के खातेदारी हक हकूकों व अधिकारों की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण स्वयं मुझ अप्रार्थी की स्व अर्जित कृषि भूमि को हड़प करने के आशय से मुझ अप्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र की आड में बेदखल करने की कुचेष्ठा में है। प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमावे।

3. विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 19.07.2021 को जारी अस्थाई निषेझाधा को पैतृक सम्पति (जददी जायदाद) के आधार पर मूल वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने [illegible] प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। कथन किया कि विवादित [illegible] पैतृक [illegible] की श्रेणी में नहीं आती है क्योकि उक्त विवादित कृषि भूमि जरिये रजि. [illegible] दिनांक 04.11.2006 श्रीमती सुवा पत्नी श्री गणेशाराम से [illegible] स्व अर्जित हैं प्रार्थीगण द्वारा हमे परेशान करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

करने का कोई विशेष कारण दिखाई नहीं देता है जिससे प्रार्थीगण को कोई नुकसान होता है अगर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को न होकर अप्रार्थी को होगी। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी की स्व अर्जित है प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पैतृक सम्पति (जददी जायदाद) से संबंधित पेश नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अपूणीय क्षति, सुविधा का संतुलन को सिद्व करने में प्रार्थीगण असफल रहा है। अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायाचित है।

–:आदेश:–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 19.07.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो, मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.06.2025 को सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner